मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक /02/2018

कमांक एफ 9–2/2018/17/मेडि–1 :: लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में तत्कालीन चिकित्सकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से समय–समय पर स्वीकृत एवं रिक्त नियमित पदों के विरूद्ध तदर्थ रूप से चिकित्सकों की नियुक्तियां की गई। तदउपरांत समय–समय पर तदर्थ चिकित्सकों को नियमित किया गया।

2/ उपरोक्तानुसार तदर्थ सेवा से नियमित चिकित्सकों की सेवा निवृत्ति उपरांत पेंशन प्रकरण में तदर्थ सेवा को जोड़ने के संबंध में जिला कोषालयों द्वारा आपत्तियां ली जाने की जानकारी विभाग में प्राप्त हुई हैं।

अतः उपरोक्त वस्तुस्थिति के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद् द्वारा **म0प्र0 सिविल सेवाऐं (पेंशन) नियम 1976 के नियम "15–क"** के अनुसार तदर्थ से नियमित चिकित्सा अधिकारियों की सेवा निवृत्ति उपरांत उनकी पेंशन के निराकरण हेतु तदर्थ सेवा को पेंशन गणना में मान्य करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. कमाक एफ 9–2/2018/17/मेडि–1 **भोपाल, दिनांक 21/02/2018**

प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश भोपाल/ग्वालियर म.प्र.।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, म0प्र0 शासन, लो.स्वा.एवं परि.क./चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेव साईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन म.प्र. भोपाल।
7. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल।
8. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
9. समस्त क्षेत्रीय संचालक/संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
10. समस्त कलेक्टर, म0प्र0।
11. अधिष्ठाता, समस्त चिकित्सा महाविद्यालय, म0प्र0।
12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
13. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
14. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15. स्टॉक फाईल।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

//Surjeet// office rel. order